पत्रांक–15/पी 3–03/2014 – 1705
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 01/9/14

विषय : राज्य के विश्वविद्यालयों में उपाचार्य से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर कालबद्ध प्रोन्नति हेतु लागू परिनियम संख्या–BSU-27/85-4032-GS(1) दिनांक 24.12.1986, की अवधि दिनांक 23.09.1995 से विस्तारित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या 431/R, दिनांक 23.06.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिये जाने से संबंधित राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या–BSU-27/85-4032-GS(1) दिनांक 24.12.1986, को दिनांक 23.09.1995 के प्रभाव से अधिक्रांत (supercede) कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि के द्वारा मेधा प्रोन्नति योजना की तरह कालबद्ध प्रोन्नति योजना के cut off date को विस्तारित किये जाने के मांग के आलोक में इस विषय पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से विधिक राय प्राप्त की गई है। वित्त विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में सरकार द्वारा व्याख्याता से उपाचार्य एवं उपाचार्य से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु लागू कालबद्ध प्रोन्नति योजना, जो दिनांक 23.09.1995 के प्रभाव से समाप्त कर दी गई है, की अवधि को विस्तारित नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

विश्वासभाजन,

ह० 1/9/14

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सरकार के विशेष सचिव।

New letter A